[2003] 3 उम. नि. प. 300

न्यू इंडिया एशोरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

सी. एम. जया और अन्य

17 जनवरी, 2002

मुंख्य न्यायमूर्ति एस. पी. भरूचा, न्यायमूर्ति सैयद शाह मोहम्मद क़ादरी, न्यायमूर्ति उमेश सी. बनर्जी, न्यायमूर्ति एस. एन. वरियावा और न्यायमूर्ति शिवराज वी. पाटिल

मोटर यान अधिनियम, 1939(1939 का 4) – धारा 95(2) – परव्यक्ति जोखिम के संबंध में बीमाकर्ता का दायित्व – बीमा पालिसी में किसी परव्यक्ति को प्रतिकर का संदाय करने के लिए उच्चतर प्रीमियम स्वीकार करके उच्चतर दायित्व संबंधी खंड का अभाव – ऐसी स्थिति में बीमाकर्ता केवल धारा 95(2) में अधिकथित सीमा तक ही प्रतिकर के लिए दायी होगा और वह प्रतिकर की संपूर्ण रकम का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा ।

वर्तमान मामले में मृतक दुपहिया वाहन की पीछे वाली सीट पर सवार था और वह अपीलार्थी द्वारा बीमाकृत एक ट्रक से जा भिड़ा । दावाकर्ताओं द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष आवेदन करने पर उसने प्रतिकर के रूप में 1,03,360/- रुपए की धनराशि अधिनिर्णीत की और यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी का दायित्व 50,000/- रुपए तक ही सीमित था और अतिशेष रकम ट्रक के चालक और स्वामी से संयुक्त रूप से और अलग-अलग वसूल की जाएगी । ट्रक के स्वामी (प्रत्यर्थी सं. 4) ने उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी का दायित्व असीमित था क्योंकि यान का बीमा व्यापक था । उच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41, नियम 22 के अधीन केवल अपीलार्थी के विरुद्ध दावेदार/प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 द्वारा बीमाकर्ता पर पूरा धनीय दायित्व डालने के लिए फाइल किए गए प्रत्यावेदन को भी मंजूर कर लिया जब कि प्रतिकर की रकम को 1,03,360/- रुपए से बढ़ाकर आवेदन करने की तारीख से 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 3,60,000/- रुपए कर दिया । अत: उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा ये दो अपीलें प्रस्तुत की गई हैं । अपीलें भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – बीमाकर्ता का दायित्व सीमित है जैसाकि मोटर यान अधिनियम की धारा 95 में उपदर्शित है किन्तु बीमाकृत व्यक्ति अतिरिक्त उच्चतर प्रीमियम का संदाय करके उसके अंतर्गत परव्यक्ति के संबंध में उच्चतर जोखिम भी सम्मिलित करा सकता है । किन्तु बीमा पालिसी में ऐसे किसी खंड के अभाव में परव्यक्ति के संबंध में बीमाकर्ता का दायित्व असीमित नहीं हो सकता है और यह केवल कानूनी दायित्व तक ही सीमित रहेगा । इस न्यायालय के अन्य विनिश्चयों में भी निरंतर इसी प्रकार का मत व्यक्त किया गया है । (पैरा 8)

शान्ति बाई और अमृत लाल सूद वाले मामलों में भी तीन विद्वान् न्यायाधीशों की दो न्यायपीठों के विनिश्चयों के मध्य निर्देश के आदेश में उद्भूत प्रश्न के बीच कोई विरोध नहीं दिखाई देता है और दूसरी ओर, इसमें इस बिन्दु पर सुसंगति है कि उच्चतर प्रीमियम स्वीकार करके उच्चतर दायित्व ग्रहण न किए जाने वाली बीमा पालिसी की दशा में, बीमा कंपनी का दायित्व न तो असीमित होगा और न ही अधिनियम की धारा 95(2) के अधीन निश्चित कानूनी दायित्व की अपेक्षा अधिक होगा । (पैरा 11)

बीमा कंपनी द्वारा किसी परव्यक्ति को प्रतिकर संदाय करने के लिए उच्चतर प्रीमियम स्वीकार करके उच्चतर दायित्व ग्रहण न किए जाने की दशा में, बीमाकर्ता अधिनियम की धारा 95(2) के अधीन सीमित सीमा तक दायी होगा और वह समस्त रकम संदत्त करने का दायी नहीं होगा । (पैरा 14)

यह ऐसा मामला भी नहीं है कि असीमित या नियत कानूनी दायित्व से उच्चतर दायित्व को पूरा करने के लिए

कोई अतिरिक्त या उच्चतर प्रीमियम का संदाय किया गया हो । ऊपर कथित विधि को ध्यान में रखते हुए इसका आवश्यक रूप से यह परिणाम निकलता है कि अपीलार्थी का दायित्व 50,000/- रुपए तक सीमित था और अधिकरण द्वारा यह सही अभिनिर्धारित किया गया । उच्च न्यायालय ने यह प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाकर गलती की कि केवल इस आधार पर अपीलार्थी का दायित्व असीमित था कि बीमाकृत व्यक्ति ने व्यापक पालिसी ली थी । इन परिस्थितियों में यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अपीलार्थी बीमा कंपनी का दायित्व जैसा कि अधिक्रण द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, 50,000/- रुपए तक सीमित है । इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए केवल अपीलार्थी के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्याक्षेपों की पोषणीयता अथवा प्रतिकर की वृद्धि से संबंधित प्रश्नों पर विचार करना अनावश्यक है क्योंकि स्वामी और चालक ने आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध कोई अपील फाइल नहीं की है । (पैरा 16 और 17)

दायित्व कानूनी अथवा संविदात्मक हो सकता है । कानूनी दायित्व उससे अधिक नहीं हो सकता है जितना स्वयं कानून के अधीन अपेक्षित है । तथापि अधिनियम की धारा 95 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पक्षकारों को विस्तृत जोखिम पूर्ण करने के असीमित या उच्चतर दायित्व को सृजित करने वाली संविदा करने से प्रतिषिद्ध करे । ऐसी दशा में, बीमाकर्ता यथास्थिति, असीमित या उच्चतर दायित्व के संबंध में पालिसी में यथाविनिर्दिष्ट संविदा के निबंधनों द्वारा आबद्ध है । पालिसी में ऐसे निबंधन या खंड के अभाव में, बीमे की संविदा के अनुसरण में, किसी सीमित कानूनी दायित्व को असीमित या उच्चतर बनाने के लिए विस्तृत नहीं किया जा सकता है । यदि ऐसा किया जाता है तो यह कानून या बीमे की संविदा को पुन: लिखने की कोटि में आएगा, जो अनुज्ञेय नहीं है । (पैरा 10)

अवलंबित निर्णय

		पैरा
[1998]	(1998) 3 एस. सी. सी. 744 : **अमृत लाल सूद और एक अन्य** बनाम **कौशल्या देवी थापर और अन्य ;**	6,10,11,16
[1995]	(1995) 2 एस. सी. सी. 539 : **न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड** बनाम **शान्ति बाई और अन्य ;**	3,9,11,14,16
[1988]	[1988] 4 उम. नि. प. 403 = (1988) 1 एस. सी. सी. 626 : **नेशनल इश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली** बनाम **जुगल किशोर और अन्य ।**	5,7,11

निर्दिष्ट निर्णय

[1999]	(1999) 2 एस. सी. सी. 47 : **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी** बनाम **सी. एम. जया और अन्य ;**	1
[1999]	(1999) 1 एस. सी. सी. 552 : **नेशनल इश्योरेन्स कंपनी लि.** बनाम **नत्थीलाल और अन्य ;**	13
[1988]	(1988) सप्ली. एस. सी. सी. 506 : **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** बनाम **राम लाल और अन्य ;**	12
[1978]	[1978] 2 उम. नि. प. 1141 = (1977) 2 एस. सी. सी. 745 : **पुष्पाबाई पुरुषोत्तम उदेशी और अन्य** बनाम **रणजीत गिनिंग एंड प्रेसिंग कंपनी प्रा. लि. और एक अन्य ।**	7,10

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 1996 की सिविल अपील सं. 4566 और 4567.

1981 के प्रथम अपीली आदेश सं. 268 और 1983 की सिविल प्रकीर्ण सं. 854 में दिल्ली उच्च न्यायालय के तारीख 29 सितंबर, 1995 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपीलें ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री उदय गुप्ता, (सुश्री) नीना गुप्ता, अर्पिता महाजन, प्रणीता शर्मा और विनीत कुमार

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री के.सी. दुआ, तरुण दुआ, (सुश्री) सोनिया शर्मा, एस.सी. शारदा और ललित कुमार

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति शिवराज वी. पाटिल ने दिया ।

न्या. पाटिल – ये अपीलें **न्यू इंडिया एशोरेंस कंपनी** बनाम **सी.एम. जया और अन्य**[1] वाले मामले में किए गए निर्देश संबंधी उस आदेश के अनुसरण में हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई हैं, जो इस प्रकार हैं :–

"इन अपीलों में अन्तर्वलित प्रश्न यह है कि क्या ऐसी बीमा पालिसी के मामले में जिसमें उच्चतर प्रीमियम स्वीकार करके उच्चतर दायित्व ग्रहण नहीं किया जाता, किसी परव्यक्ति को प्रतिकर का संदाय करने की दशा में बीमाकर्ता धारा 95(2) के अधीन सीमित विस्तार तक दायी होगा या बीमाकर्ता संपूर्ण राशि का संदाय करने का दायी होगा और वह अन्ततः बीमाकृत व्यक्ति से वसूल कर सकेगा । इस प्रश्न पर, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि. **बनाम** शान्ति बाई, [(1995) 2 एस.सी.सी. 539] और अमृतलाल सूद **बनाम** कौशल्या देवी थापर, [(1998) 3 एस.सी.सी. 744] वाले मामलों में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की दो न्यायपीठों के विनिश्चयों में स्पष्ट विरोध प्रतीत होता है ।

2. दुर्भाग्यवश पश्चात्वर्ती विनिश्चय में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि. वाले मामले में किए गए विनिश्चय की अवेक्षा नहीं की गई, यद्यपि नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड **बनाम** जुगल किशोर [(1988) 4 उम. नि. प. 403 = (1988) 1 एस.सी.सी. 626] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय के प्रति निर्देश किया गया, जिसका तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ के पूर्ववर्ती निर्णय में अवलंब लिया गया था । इन तीन न्यायाधीशों वाली दो न्यायपीठों के मध्य स्पष्ट विरोध को ध्यान में रखते हुए हम यह समुचित समझते हैं कि उक्त विरोध के समाधान के लिए एक वृहत् न्यायपीठ का गठन करने के लिए इस मामले के अभिलेख भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं, । तद्नुसार हम ऐसा निदेश देते हैं । अब अभिलेख भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं ।"

2. सर्वप्रथम हम उपर्युक्त आदेश में निर्दिष्ट तीनों विनिश्चयों का सूक्ष्मता से अवलोकन करना समुचित समझते हैं ।

3. **न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड** बनाम **शान्ति बाई और अन्य**[2] वाले मामले के तथ्य इस प्रकार थे कि तारीख 3 जनवरी, 1989 को मृतक लक्ष्मण सिंह, जो प्रत्यर्थी सं. 5 बस के चालक की अनुमति से बस की छत पर बैठा था, जिसने उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक बस चलाते हुए एक पेड़ से टक्कर/मार दी थी । लक्ष्मण सिंह के विधिक वारिसों ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष 7,81,000/- रुपए की रकम के प्रतिकर के लिए एक दावा फाइल किया । अधिकरण ने अपने आदेश द्वारा ब्याज सहित 1,10,000/- रुपए का प्रतिकर अधिनिर्णीत किया और बीमा कंपनी (जो इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी है) और प्रत्यर्थी सं. 4 और 5, बस के स्वामी और चालक को इसका संदाय करने का निदेश दिया । अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल की गई अपील खारिज कर दी गई । इस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ यह संक्षिप्त प्रश्न उद्भूत हुआ कि क्या अपीलार्थी की इस दलील को ध्यान में रखते हुए कि उसका दायित्व 15,000/- रुपए तक सीमित है, वह ब्याज सहित 1,10,000/- रुपए की रकम का

[1] (1999) 2 एस. सी. सी. 47.
[2] (1995) 2 एस. सी. सी. 539.

2002(1) eILR(PAT) SC 1

प्रतिकर संदत्त करने का दायी है ।

4. बस के स्वामी ने यान के 2,50,000/- रुपए प्राक्कलित मूल्य कामप्रेन्सिव (व्यापक) बीमा पालिसी कराई थी। प्रीमियम की अनुसूची में 50 यात्रियों के संबंध में 600/- रुपए का अतिरिक्त भुगतान दर्शित किया गया था । अपीलार्थी कंपनी ने यह दलील दी कि 12/- रुपए प्रति यात्री की दर से यह अतिरिक्त भुगतान मोटर यान अधिनियम, 1939 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 95 के अधीन 50 यात्रियों के उसके सीमित दायित्व को पूरा करने के लिए था ।

5. **नेशनल इश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली** बनाम **जुगल किशोर और अन्य**[1] वाले मामले का अनुसरण करते हुए और अधिनियम की धारा 95 के उपबंधों को निर्दिष्ट करते हुए न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया :–

> "इन उपबंधों का निर्वचन इस न्यायालय द्वारा नेशनल इश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड **बनाम** जुगल किशोर, [(1988) 4 उम. नि. प. 403 = (1988) 1 एस. सी. सी. 626] वाले मामले में किया गया था । इस न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि यद्यपि किसी यान का प्रयोग तब तक अनुज्ञेय नहीं है जब तक यह कम से कम 'एक घटना' वाली पालिसी के अन्तर्गत न आता हो तो भी यान के स्वामी के लिए इसका व्यापक रूप से बीमा करना बाध्यकर नहीं है । तथापि यदि इसका व्यापक रूप से बीमा करवाया जाता है तो इस पर यान के प्राक्कलित मूल्य पर आधारित उच्चतर प्रीमियम संदेय होगा । ऐसा बीमा स्वामी को यान के प्राक्कलित मूल्य तक हुई हानि अथवा नुकसान की समस्त रकम की प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए हकदार बनाता है, जिसकी संगणना इस निमित्त विरचित नियमों और विनियमों के अनुसार की जाएगी । यह भी मत व्यक्त किया गया –
>
> > तथापि यान का व्यापक बीमा और इस बारे में उच्च प्रीमियम के संदाय का यह अर्थ नहीं है कि परव्यक्ति जोखिम के बारे में दायित्व की सीमा अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (2) के अधीन नियत कानूनी दायित्व की अपेक्षा असीमित अथवा अधिक हो सकती है । इस प्रयोजनार्थ स्वामी और बीमा कंपनी के बीच एक विनिर्दिष्ट करार होना चाहिए और इस निमित्त कंपनी द्वारा लिए गए दायित्व की रकम पर पृथक् प्रीमियम देना होता है ।"
>
> अत: वर्तमान मामले में यान के 2,50,000/- रुपए के प्राक्कलित मूल्य के आधार पर जारी की गई व्यापक पालिसी के परिणामस्वरूप कानूनी सीमा से उच्चतर राशि के लिए परव्यक्ति जोखिम के बारे में दायित्व स्वत: उसके अंतर्गत नहीं आ जाता ।"

न्यायालय ने आगे यह कहा कि "मात्र यह तथ्य प्रत्यर्थियों की किसी भी प्रकार से सहायता नहीं करेगा कि बीमा पालिसी व्यापक पालिसी है । जैसा कि इस न्यायालय द्वारा **नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली** बनाम **जुगल किशोर और अन्य**[1] वाले मामले में उल्लेख किया गया है, व्यापक पालिसी केवल स्वामी को यान के प्राक्कलित मूल्य तक हुई हानि अथवा नुकसान की समस्त रकम की प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए हकदार बनाती है । इसका अर्थ यह नहीं है कि परव्यक्ति जोखिम के बारे में दायित्व की सीमा कानूनी दायित्व की अपेक्षा असीमित अथवा उच्चतर हो जाती है।" इस प्रयोजन के लिए एक विनिर्दिष्ट करार आवश्यक है जो वर्तमान मामले में नहीं किया गया । इस न्यायालय ने इस दृष्टिकोण से अपील मंजूर कर ली और यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी का दायित्व 15,000/- रुपए तक ही सीमित है ।

6. **अमृत लाल सूद और एक अन्य** बनाम **कौशल्या देवी थापर और अन्य**[2] वाले मामले के तथ्य इस प्रकार थे कि तारीख 25 अगस्त, 1970 को एक फिएट कार, जिसका स्वामी द्वितीय अपीलार्थी था, एक माल वाहक (ट्रक) से

---

[1] [1988] 4 उम. नि. प. 403 = (1988) 1 एस. सी. सी. 626.

[2] (1998) 3 एस. सी. सी. 744.

टकरा गई । उक्त कार द्वितीय अपीलार्थी का भाई, प्रथम अपीलार्थी चला रहा था । कार का बीमा पांचवें प्रत्यर्थी ने किया था । कार में यात्रा कर रहे किशन स्वरूप थापर क्षतिग्रस्त हो गया और उसे कुछ समय के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया । उसने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष प्रतिकर के रूप में 1,25,000/- रुपए का दावा किया । अधिकरण ने प्रतिकर के रूप में 15,800/- रुपए अधिनिर्णीत किए । दावाकर्ता ने प्रतिकर की वृद्धि के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । बीमाकर्ता (पांचवें प्रत्यर्थी) ने दावे की तुष्टि करने के अपने दायित्व को चुनौती देते हुए अपील फाइल की । दावाकर्ता की अपील में प्रतिकर की राशि बढ़ाकर 20,800/- रुपए कर दी गई । बीमा कंपनी द्वारा फाइल की गई अपील में विद्वान् न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि चूंकि दावाकर्ता कार में नि:शुल्क यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था, इसलिए बीमा कंपनी दायी नहीं थी । इस संबंध में दो लेटर्स पेटेण्ट अपील फाइल की गई जिसमें से एक दावाकर्ता के विधिक प्रतिनिधियों द्वारा और दूसरी यान के चालक द्वारा की गई थी । उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा चालक द्वारा फाइल की गई अपील खारिज कर दी गई और दावाकर्ता के विधिक प्रतिनिधियों द्वारा फाइल की गई अपील में प्रतिकर की राशि बढ़ाकर 56,000/- रुपए कर दी गई । चालक और कार के स्वामी ने इस न्यायालय में अपीलें फाइल कीं । इस न्यायालय के विनिश्चयार्थ जो प्रश्न उद्भूत हुआ वह यह था कि क्या बीमाकर्ता कार में नि:शुल्क यात्रा करने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए प्रतिकर के दावे की तुष्टि करने के लिए दायी था । इस प्रश्न को विनिश्चित करते हुए न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि किसी मामले में बीमाकर्ता का दायित्व बीमाकृत व्यक्ति और बीमाकर्ता के बीच हुई संविदा के उन निबंधनों पर निर्भर करता है जो पालिसी से प्रकट होते हैं । मोटर यान अधिनियम की धारा 94 मोटर यान के स्वामी को अधिनियम के अध्याय 8 की अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए यान का बीमा करवाने के लिए विवश करती है । अधिनियम की धारा 95 में यह उपबंधित है कि बीमा पालिसी ऐसी पालिसी होनी चाहिए, जो किसी व्यक्ति का ऐसे किसी दायित्व के विरुद्ध बीमा करती हो, जो उसके द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति या परव्यक्ति की किसी संपत्ति को हुई नुकसानी से उपगत हुआ हो, जो सार्वजनिक स्थान पर यान के प्रयोग से कारित या उद्भूत हुई हो । तथापि धारा में यह अपेक्षित नहीं है पालिसी के अंतर्गत ऐसे यात्रियों का जोखिम आता हो जिनका भाड़े या पारिश्रमिक पर वहन किया जा रहा हो । कानूनी बीमा के अंतर्गत ऐसे अधिभोगी को हुई क्षतियां नहीं आतीं जिन्हें भाड़े या पारिश्रमिक पर नहीं ले जाया जा रहा हो और बीमाकर्ता को अधिनियम के अधीन दायी नहीं ठहराया जा सकता है । किन्तु वह बीमाकर्ता को ऐसी बीमा संविदा करने से निवारित नहीं करता है जिसके अंतर्गत कानून की न्यूनतम अपेक्षा से अधिक व्यापक जोखिम भी आता हो जिसमें नि:शुल्क यात्रियों के जोखिम को भी सम्मिलित किया जा सके । ऐसे मामलों में जहां पालिसी केवल एक कानूनी पालिसी नहीं है, वहां बीमाकर्ता के दायित्व का अवधारण करने के लिए पालिसी के निबंधनों पर विचार करना होगा ।

7. पालिसी के सुसंगत खंडों को उक्त निर्णय के पैरा 6 में उद्धृत किया गया है । धारा II में खंड 1(क) परव्यक्ति के दायित्व के संबंध में है, जो इस प्रकार है :–

> "कंपनी मोटर कार का प्रयोग करने से या मोटर कार द्वारा हुई दुर्घटना की दशा में बीमाकृत व्यक्ति को दावाकर्ता के खर्चे और व्यय सहित उस समस्त धनराशि की क्षतिपूर्ति करने की दायी होगी जिसका बीमाकृत निम्नलिखित की बाबत संदाय करने के लिए विधिक रूप से दायी होगा –
>
> (क) किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति, किन्तु जहां तक मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 95 की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक न हो, कंपनी वहां दायी नहीं होगी जहां ऐसी मृत्यु या क्षति बीमाकृत व्यक्ति द्वारा ऐसे व्यक्ति के नियोजन से और उसके अनुक्रम में होती है ।"

इस खंड को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने पैरा 8 में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया :–

> "इस प्रकार पालिसी की धारा II (1)(क) के अधीन बीमाकर्ता बीमाकृत व्यक्ति को उस समस्त धनराशि की क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत था जिसका बीमाकृत व्यक्ति 'किसी व्यक्ति' की मृत्यु या शारीरिक क्षति के

2002(1) eILR(PAT) SC 1

लिए संदाय करने के लिए विधिक रूप से दायी होगा । निस्संदेह 'किसी व्यक्ति' अभिव्यक्ति के अंतर्गत वह अधिभोगी भी सम्मिलित होगा जो कार में नि:शुल्क यात्रा कर रहा हो । खंड (क) का शेष भाग बीमाकृत व्यक्ति द्वारा ऐसे व्यक्ति के नियोजन के अनुक्रम में या नियोजन में हुई मृत्यु अथवा क्षति के मामलों से संबंधित है । ऐसे मामलों में बीमाकर्ता का दायित्व केवल उस सीमा तक है जो अधिनियम की धारा 95 की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित हो । जहां तक नि:शुल्क यात्रियों का संबंध है, वस्तुत: पालिसी में कोई सीमा नहीं दी गई है । अत: पालिसी के निबंधनों में बीमाकर्ता दावेदार के पक्ष में पारित अधिनिर्णय की तुष्टि करने का दायी होगा । हम इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त मत से सहमत नहीं हैं क्योंकि पालिसी के निबंधन सुस्पष्ट हैं ।"

पुष्पाबाई पुरुषोत्तम उदेशी और अन्य बनाम **रणजीत गिनिंग एंड प्रेसिंग कंपनी प्रा. लि. और एक अन्य**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय को प्रभेदित करते हुए न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि उक्त निर्णय बीमा पालिसी के सुसंगत खंड पर आधारित था जो बीमाकर्ता के विधिक दायित्व को अधिनियम की धारा 95 के अधीन कानूनी अपेक्षाओं तक निर्बंधित करता है और इसलिए वह विनिश्चय इस मामले में लागू नहीं होता था क्योंकि निर्णय के पैरा 6 में उपवर्णित पालिसी के निबंधन इतने व्यापक थे कि उनके अंतर्गत यान का नि:शुल्क अधिभोगी भी आता है । न्यायालय ने **जुगल किशोर**[2] वाले मामले को भी निर्दिष्ट किया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि यद्यपि किसी यान का प्रयोग तब तक अनुज्ञेय नहीं है ज़ब तक यह कम से कम 'एक घटना' वाली पालिसी के अन्तर्गत न आता हो, तथापि स्वामी के लिए इसकी व्यापक पालिसी लेना बाध्यकर नहीं है किन्तु बीमाकर्ता ऐसी पालिसी लेने के लिए स्वतंत्र है जिसके अंतर्गत उच्चतर जोखिम आता हो ।

8. अत: इन विनिश्चयों को सावधानीपूर्वक पढ़ने से स्पष्टत: यह दर्शित होता है कि बीमाकर्ता का दायित्व सीमित है जैसा कि अधिनियम की धारा 95 में उपदर्शित है किन्तु बीमाकृत व्यक्ति अतिरिक्त उच्चतर प्रीमियम का संदाय करके उसके अंतर्गत, परव्यक्ति के संबंध में उच्चतर जोखिम भी सम्मिलित करा सकता है । किन्तु बीमा पालिसी में ऐसे किसी खंड के अभाव में परव्यक्ति के संबंध में बीमाकर्ता का दायित्व असीमित नहीं हो सकता है और यह केवल कानूनी दायित्व तक ही सीमित रहेगा । इस न्यायालय के अन्य विनिश्चयों में भी निरंतर इसी प्रकार का मत व्यक्त किया गया है ।

9. **शान्ति बाई और अन्य**[3] वाले मामले में इस न्यायालय के तीन विद्वान् न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने **जुगल किशोर**[2] वाले मामले का अनुसरण करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि (i) व्यापक पालिसी के परिणामस्वरूप, जो यान के प्राक्कलित मूल्य के आधार पर जारी की गई है, परव्यक्ति जोखिम के संबंध में कानूनी सीमा से उच्चतर रकम का दायित्व उसके अंतर्गत स्वत: नहीं आ जाता, (ii) यह कि यद्यपि किसी यान का प्रयोग तब तक अनुज्ञेय नहीं है जब तक कि यह कम से कम "एक घटना" वाली पालिसी के अन्तर्गत न आता हो, तथापि यान के स्वामी के लिए इसका व्यापक रूप से बीमा कराना बाध्यकर नहीं है, और (iii) यह कि परव्यक्ति जोखिम के बारे में दायित्व की सीमा बीमाकर्ता के दायित्व को असीमित अथवा कानूनी दायित्व से उच्चतर बनाने संबंधी किसी विनिर्दिष्ट करार के अभाव में असीमित अथवा कानूनी दायित्व से उच्चतर नहीं हो जाती ।

10. **अमृत लाल सूद**[4] (उपरोक्त) वाले मामले में किए गए विनिश्चय के सावधानीपूर्वक पठन और विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण कोई भिन्न नहीं है । इस विनिश्चय में भी **जुगल किशोर**[2] वाले मामले के प्रति निर्देश किया गया है । इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि (i) बीमाकर्ता का दायित्व पालिसी

---

[1] [1978] 2 उम. नि. प. 1141 = (1977) 2 एस. सी. सी. 745.
[2] [1988] 4 उम. नि. प. 403 = (1988) 1 एस. सी. सी. 626.
[3] (1995) 2 एस. सी. सी. 539.
[4] (1998) 3 एस.सी.सी. 744.

में अन्तर्विष्ट बीमाकर्ता और बीमाकृत व्यक्ति के मध्य हुई संविदा के निबंधनों पर आधारित होगा, (ii) बीमाकृत व्यक्ति के लिए ऐसा कोई प्रतिषेध नहीं है कि वह कानून की न्यूनतम अपेक्षा से अधिक जोखिम के लिए बीमा की ऐसी संविदा नहीं कर सकता है जिसके अन्तर्गत नि:शुल्क यात्री का जोखिम भी आता हो और (iii) ऐसे मामलों में जहां पालिसी केवल कानूनी पालिसी नहीं है वहां बीमाकर्ता के दायित्व को अवधारित करने के लिए पालिसी के निबंधनों पर विचार करना होगा । अत: पालिसी के सुसंगत खंडों की अवेक्षा करने के पश्चात् न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बीमाकर्ता पालिसी के खंड II 1-(क) के अधीन बीमाकृत व्यक्ति को उस समस्त राशि की क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत था, जिसे बीमाकृत व्यक्ति "किसी व्यक्ति" की मृत्यु या शारीरिक क्षति की बाबत संदत्त करने के लिए विधिक रूप से दायी होगा । निस्संदेह "किसी व्यक्ति" अभिव्यक्ति के अतंर्गत इसके अतिरिक्त कार का वह अधिभोगी भी सम्मिलित है जो इसमें नि:शुल्क रूप से यात्रा कर रहा है । इसके अतिरिक्त **पुष्पा बाई पुरुषोत्तम उदेशी**[1] वाले मामले के प्रति निर्देश करते हुए यह मत व्यक्त किया गया कि उक्त विनिश्चय उस मामले की बीमा पालिसी के सुसंगत खंड पर आधारित था जिसमें बीमाकर्ता का विधिक दायित्व अधिनियम की धारा 95 के अधीन कानूनी अपेक्षा तक निर्बंधित किया गया है । इसलिए वह विनिश्चय **अमृत लाल सूद**[2] के मामले में लागू नहीं होता क्योंकि पालिसी के निबन्धन इतने व्यापक हैं कि उनके अर्न्तगत यान का नि:शुल्क अधिभोगी भी आता है । अत: यह स्पष्ट है कि पालिसी के विनिर्दिष्ट खंड के इतना विस्तृत होने के कारण कि उसके अंतर्गत उच्चतर जोखिम भी आता था, **अमृत लाल सूद**[2] वाले मामले में असीमित या उच्चतर दायित्व के संबंध में अंतर पड़ा । न्यायालय ने उस मामले को पालिसी में अन्तर्विष्ट विनिर्दिष्ट खंड को ध्यान में रखते हुए विनिश्चित किया । उक्त विनिश्चय का पठन इस रूप में नहीं किया जा सकता कि उसमें यह अधिकथित है कि यद्यपि बीमा कंपनी का दायित्व कानूनी अपेक्षा तक सीमित है तथापि इस पर असीमित या उच्चतर दायित्व अधिरोपित किया जा सकता है । दायित्व कानूनी अथवा संविदात्मक हो सकता है । कानूनी दायित्व उससे अधिक नहीं हो सकता है जितना स्वयं कानून के अधीन अपेक्षित है। तथापि अधिनियम की धारा 95 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पक्षकारों को विस्तृत जोखिम पूर्ण करने के असीमित या उच्चतर दायित्व को सृजित करने वाली संविदा करने से प्रतिषिद्ध करें । ऐसी दशा में, बीमाकर्ता यथास्थिति, असीमित या उच्चतर दायित्व के संबंध में पालिसी में यथाविनिर्दिष्ट संविदा के निबंधनों द्वारा आबद्ध है । पालिसी में ऐसे निबंधन या खंड के अभाव में, बीमे की संविदा के अनुसरण में, किसी सीमित कानूनी दायित्व को असीमित या उच्चतर बनाने के लिए विस्तृत नहीं किया जा सकता है । यदि ऐसा किया जाता है तो यह कानून या बीमे की संविदा को पुन: लिखने की कोटि में आएगा, जो अनुज्ञेय नहीं है ।

11. ऊपर जो कुछ कहा गया है उसे ध्यान में रखते हुए हमें ऊपर उल्लिखित **शान्ति बाई**[3] और **अमृत लाल सूद**[2] वाले मामलों में भी तीन विद्वान् न्यायाधीशों की दो न्यायपीठों के विनिश्चयों के मध्य निर्देश के आदेश में उद्भूत प्रश्न के बीच कोई विरोध नहीं दिखाई देता है और दूसरी ओर, इसमें इस बिन्दु पर सुसंगति है कि उच्चतर प्रीमियम स्वीकार करके उच्चतर दायित्व ग्रहण न किए जाने वाली बीमा पालिसी की दशा में, बीमा कंपनी का दायित्व न तो असीमित होगा और न ही अधिनियम की धारा 95(2) के अधीन निश्चित कानूनी दायित्व की अपेक्षा अधिक होगा । **अमृत लाल सूद**[2] वाले मामले में **शान्ति बाई**[3] वाले मामले में दिए गए विनिश्चय की अवेक्षा नहीं की गई । तथापि दोनों विनिश्चयों में **जुगल किशोर**[4] वाले मामले के प्रति निर्देश किया गया और कोई प्रतिकूल मत व्यक्त नहीं किया गया ।

12. **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** बनाम **राम लाल और अन्य**[5] वाले मामले में बीमा पालिसी को ध्यान

---

[1] [1978] 2 उम.नि.प. 1141 = (1977) 2 एस.सी.सी. 745.

[2] (1998) 3 एस.सी.सी. 744.

[3] (1995) 2 एस. सी. सी. 539.

[4] [1988] 4 उम.नि.प. 403 = (1988) 1 एस. सी. सी. 626.

[5] [1988] सप्ली. एस. सी. सी. 506.

में रखते हुए कि अपीलार्थी ने केवल 50,000/- रुपए की सीमा तक बीमाकृत व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करने का वचन दिया था, यह अभिनिर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करके गलती की कि अपीलार्थी प्रतिकर की संपूर्ण रकम, जो कि 50,000/- रुपए से अधिक थी, संदत्त करने का दायी था और यह कि अपीलार्थी का दायित्व 50,000/- रुपए तक सीमित था ।

13. **नेशनल इश्योरेन्स कंपनी लि.** बनाम **नत्थीलाल और अन्य**[1] वाले मामले में अभी हाल में दिए गए निर्णय में इस न्यायालय ने ऊपर उल्लिखित **जुगल किशोर**[2] वाले मामले का अनुसरण करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चूंकि असीमित दायित्व के संबंध में कोई अतिरिक्त प्रीमियम संदत्त नहीं किया गया था, जैसाकि प्रस्तुत पालिसी से देखा जा सकता है, इसलिए बीमा कंपनी का दायित्व 15,000/- रुपए तक ही सीमित था । इस न्यायालय ने अधिकरण के उस अधिनिर्णय को अपास्त कर दिया जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी ।

14. इस विनिश्चयाधार पर हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि **शान्ति बाई**[3] वाले मामले में तीन विद्वान् न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा व्यक्त किया गया मत सही है और प्रारंभ में निर्देश संबंधी आदेश में वर्णित प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया जाता है :–

> बीमा कंपनी द्वारा किसी परव्यक्ति को प्रतिकर संदाय करने के लिए उच्चतर प्रीमियम स्वीकार करके उच्चतर दायित्व ग्रहण न किए जाने की दशा में, बीमाकर्ता अधिनियम की धारा 95(2) के अधीन सीमित सीमा तक दायी होगा और वह समस्त रकम संदत्त करने का दायी नहीं होगा ।

15. हमारे समक्ष इन वर्तमान अपीलों में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई है । इसमें मृतक दुपहिया वाहन की पीछे वाली सीट पर सवार था और वह अपीलार्थी द्वारा बीमाकृत एक ट्रक से जा भिड़ा। दावाकर्ताओं द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष आवेदन करने पर उसने प्रतिकर के रूप में 1,03,360/- रुपए की धनराशि अधिनिर्णीत की और यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी का दायित्व 50,000/- रुपए तक ही सीमित था और अतिशेष रकम ट्रक के चालक और स्वामी से संयुक्त रूप से और अलग-अलग वसूल की जाएगी । ट्रक के स्वामी (प्रत्यर्थी सं. 4) ने उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी का दायित्व असीमित था क्योंकि यान का बीमा व्यापक था उच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41, नियम 22 के अधीन केवल अपीलार्थी के विरुद्ध दावेदार/प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 द्वारा बीमाकर्ता पर पूरा धनीय दायित्व डालने के लिए फाइल किए प्रतिआक्षेपों को भी मंजूर कर लिया जब कि प्रतिकर की रकम को 1,03,360/- रुपए से बढ़ाकर आवेदन करने की तारीख से 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 3,60,000/- रुपए कर दिया । अत: उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा ये दो अपीलें प्रस्तुत की गई हैं । पक्षकारों की ओर से हाजिर विद्वान् काउंसेलों द्वारा प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 को प्रतिकर की रकम का संदाय करने की बाबत अपीलार्थी के दायित्व की सीमा के संबंध में ऊपर उल्लिखित विनिश्चयों को उद्धृत करते हुए अपनी-अपनी दलीलों के समर्थन में हमारे समक्ष दलीलें प्रस्तुत की गईं ।

16. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई बीमा पालिसी की स्वीकृत प्रति द्वारा यह विवादग्रस्त नहीं है कि प्रश्नगत दावे के संबंध में अपीलार्थी का दायित्व 50,000/- रुपए तक सीमित है । दायित्व की सीमा से संबंधित पालिसी का सुसंगत खंड इस प्रकार है :–

---

[1] (1999) 1 एस. सी. सी. 552.

[2] [1988] 4 उम.नि.प. 403 = (1988) 1 एस. सी. सी. 626.

[3] (1995) 2 एस. सी. सी. 539.

दायित्व की सीमाएं – किसी एक दुर्घटना की बाबत धारा II -1(i) के अधीन कंपनी के दायित्व संबंधी रकम की सीमा 50,000/- रुपए

एक घटना से उद्भूत किसी दावे या दावों की श्रृंखला की बाबत धारा II -(ii) के अधीन कंपनी के दायित्व संबंधी रकम की सीमा 50,000/- रुपए

जैसाकि ऊपर उद्धृत पालिसी के निबंधन से भी स्पष्ट है, यह ऐसा मामला भी नहीं है कि असीमित या नियत कानूनी दायित्व से उच्चतर दायित्व को पूरा करने के लिए कोई अतिरिक्त या उच्चतर प्रीमियम का संदाय किया गया हो । ऊपर कथित विधि को ध्यान में रखते हुए इसका आवश्यक रूप से यह परिणाम निकलता है कि अपीलार्थी का दायित्व 50,000/- रुपए तक सीमित था और अधिकरण द्वारा यह सही अभिनिर्धारित किया गया । उच्च न्यायालय ने यह प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाकर गलती की कि केवल इस आधार पर अपीलार्थी का दायित्व असीमित था कि बीमाकृत व्यक्ति ने व्यापक पालिसी ली थी । **शांन्ति बाई**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह स्पष्ट राय व्यक्त की कि यान के प्राक्कलित मूल्य के आधार पर जारी व्यापक पालिसी के परिणामस्वरूप, कानूनी सीमा से उच्चतर रकम के लिए परव्यक्ति जोखिम हेतु विनिर्दिष्ट करार और पृथक् प्रीमियम के संदाय के अभाव में कानूनी सीमा से उच्चतर रकम के लिए परव्यक्ति जोखिम के बारे में दायित्व स्वत: ही इसके अंतर्गत नहीं आ जाता । **अमृत लाल सूद**[2] वाले मामले में भी इस स्थिति को स्वीकार किया गया हालांकि इस मामले के प्रति निर्देश नहीं किया गया । जैसाकि ऊपर कथन किया जा चुका है, **अमृत लाल सूद**[2] वाले मामले में न्यायालय ने **शान्ति बाई**[1] वाले मामले से भिन्न विस्तृत जोखिम को इसके अन्तर्गत लाने के लिए और उच्चतर दायित्व को पूरा करने के लिए पालिसी में स्पष्ट निबंधन पाए थे । अत: उच्च न्यायालय ने यह सही अभिनिर्धारित नहीं किया कि अपीलार्थी बीमा कंपनी का दायित्व, केवल इस आधार पर असीमित था कि प्रश्नगत यान, अर्थात् ट्रक के लिए व्यापक बीमा पालिसी कराई गई थी ।

17. इन परिस्थितियों में हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि अपीलार्थी बीमा कंपनी का दायित्व जैसाकि अधिकरण द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, 50,000/- रुपए तक सीमित है । हमारे द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए केवल अपीलार्थी के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्याक्षेपों की पोषणीयता अथवा प्रतिकर की वृद्धि से संबंधित प्रश्नों पर विचार करना अनावश्यक है क्योंकि स्वामी और चालक ने आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध कोई अपील फाइल नहीं की है ।

18. अत: अपीलें अपीलार्थी बीमा कंपनी के दायित्व को 50,000/- रुपए तक सीमित करते हुए और यह स्पष्ट करते हुए इस सीमा तक मंजूर की जाती है कि इससे किसी भी रीति में अधिनिर्णय की पूर्ण रकम का संदाय करने के प्रत्यर्थी सं. 4 और 5 (ट्रक का स्वामी और चालक) के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । तद्नुसार उच्च न्यायालय का वह निर्णय और आदेश, जिसे इन अपीलों में चुनौती दी गई है, इस सीमा तक उपांतरित समझा जाएगा । पक्षकार अपने-अपने खर्चे स्वयं वहन करेंगे ।

अपीलें भागत: मंजूर की गईं ।

उ.

---

[1] (1995) 2 एस.सी.सी. 539.

[2] (1998) 3 एस.सी.सी. 744.